न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)--जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 12/2024
3. उनवान : नाना देवी पत्नी श्री डूंगर सिंह मीणा पुत्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी– ग्राम विशनपुरा चारणवास, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

--अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण, (राज.)।
2. कमला देवी पत्नि श्री गिरधारी पुत्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी– ग्राम गुवारडी, पोस्ट कालाडेरा, तहसील चौंमू, जिला जयपुर (राज.)।
3. कैलाश चन्द पुत्र स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी– ग्राम लुनियावास, पोस्ट कालाडेरा, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर। (मृतक)
   3/1. विजेन्द्र पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द पौत्र स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी–ग्राम लुनियावास, पोस्ट कालाडेरा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
4. चन्दा देवी पत्नि श्री विकास मीणा पुत्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी– राधापुरा जाहोता, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
5. सजना देवी पत्नि श्री मदन लाल पुत्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी–ग्राम विशनपुरा चारणवास, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
6. सुशीला देवी पत्नि श्री बाबूलाल पुत्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी–ग्राम विशनपुरा चारणवास, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
7. तन्नु देवी पुत्री स्व. श्री ललीता देवी दोहित्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवासी– राधापुरा जाहोता, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
8. दीपिका पुत्री स्व. श्री ललीता देवी दोहित्री स्व. श्री बालूराम, जाति मीणा, निवारी– राधापुरा जाहोता, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III JAIPUR

4. निर्णय दिनांक : 22/10/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा अपीलांट की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री तरसेम कुमार मिश्रा रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 4, 6 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तेजानगर, पटवार हल्का लूनियावास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 6.5501 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में ग्राम लूनियावास, पटवार हल्का लूनियावास, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर में स्थित थी, परन्तु राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा आदेश कमांक प. 9 (3) राज 1/2022 जयपुर दिनांक 22.02.2022 के तहत अधिसूचना जारी कर उक्त ग्राम लूनियावास में स्थित [illegible] ढाणी तेजा नगर को राजस्व ग्राम बना दिये जाने से उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 ग्राम लूनियावास से नवीन निर्मित ग्राम तेजा नगर में आ गई है। उक्त भूमि को अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 6 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 7 ता 8 के नाना स्व. श्री बालूराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 09.07.1982 से खरीद किया गया, जो विक्रय पत्र उप पंजीयक फुलेरा, सांभर के यहाँ दिनांक 20.07.1982 को पुस्तक संख्या [illegible] जिल्द संख्या 91 के पृष्ठ संख्या 11 से 12 पर कम संख्या 1068 पर पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 का अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 6 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 7 ता 8 के नाना स्व. श्री बालूराम एक मात्र मालिक स्वामी व खातेदार हुआ। उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 स्व0 श्री बालूराम द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की गई थी। इसलिये उसे उक्त भूमि को हर प्रकार से अन्तरित करने के समस्त मालिकाना हक अधिकार प्राप्त थे। अपीलार्थीया व प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 6 के पिता व प्रत्यर्थी संख्या 7 ता 8 के नाना स्व. श्री बालूराम की सेवा सुश्रूषा अपीलार्थीया ही करती थी तथा उसके बीमार होने पर सम्पूर्ण देखभाल, दवाई इत्यादि की व्यवस्था भी अपीलार्थीया ही करती थी। इसलिये स्व. श्री बालूराम ने अपनी उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 की वसीयत अपने जीवनकाल मे अपनी पुत्री अपीलार्थीया नाना देवी पत्नि श्री डूगर सिंह मीणा के हक मे दिनांक 24.04.2019 को निष्पादित कर दी। जो वसीयत [illegible] नोटरी पब्लिक के रजिस्टर में कम संख्या 15 पर दिनाक 24.04.2019 को दर्ज की गई। स्व. श्री बालूराम की दिनाक 29.06.2019 को मृत्यु हो गई। स्व श्री बालूराम की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा दिनाक 24.04.2019 को निष्पादित की गई वसीयत के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 की एक मात्र मालिक स्वामी खातेदार कब्जेधारी स्व. श्री बालूराम की पुत्री अपीलार्थीया नाना देवी हुई। अपीलार्थीया नाना देवी ने उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 मे अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार के यहाँ दिनाक 22.11.2019 को आवेदन किया तो इन्होने उस नामान्करण प्रकिया को धारा 135 (2) एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसमे विधिनुसार कार्यवाही शुरू कर दी। जो प्रकरण संख्या 14/2019 नाना देवी बनाम कैलाश वगैरह के नाम से प्रत्यर्थी संख्या 1 तहसीलदार के यहाँ विचाराधीन रही। उक्त मे प्रत्यर्थी संख्या 3 कैलाश के बयान उसकी मृत्यु जो दिनाक 15.06.2022 से पूर्व ही दिनाक 07.01.2021 को हो चुके थे, जिन्होंने उक्त वसीयत के आधार पर अपीलार्थीया के हक मे नामान्करण खुले जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी थी तथा उक्त प्रकरण मे वसीयत के दोनो गवाहो के भी बयान हो चुके थे। अपीलार्थीया को स्व. श्री बालूराम द्वारा उसके पक्ष मे की गई वसीयत दिनाक 24.04.2019 के आधार पर उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 मे प्राप्त मालिकाना हक अधिकारो से महरूम करने के उद्देश्य से अपीलार्थीया को बिना [illegible] सूचना व बिना नोटिस जारी किये ही व बिना सुनवाई [illegible]

पीठासीन, जिला कलक्टर

नाना देवी बनाम सरकार वगै0

अपीलांट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है कि अपीलार्थीया के पति डूंगर सिंह मीणा द्वारा दिनांक 19.12.2023 को उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 के सम्बन्ध मे नामान्तकरण बाबत धारा 135 (2) एलआर. एक्ट के तहत चल रहे प्रकरण संख्या 14/2019 उनवानी नाना देवी बनाम कैलाश वगै0 मे वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत करने हेतु जमाबंदी निकलवाने हेतु ऑन लाईन जमाबंदी देखने पर उसमें अपीलार्थीया के पिता के नाम की जगह उसके वारीसान का नाम आने पर तहसील से दिनांक 19.12.2023 को आवेदन कर दिनांक 21.12.2023 को नकल प्राप्त की, उक्त नकल से अपीलार्थीया को अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1791 दिनांक 30.09.2021 की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीया को उक्त नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। तहसील मे आवेदन दिनांक 03.01.2024 को कर उक्त प्रकरण की दिनांक 05.01.2024 को नकल प्राप्त की गई। मुकदमा संख्या 14/2019 की नकल दिनांक 05.01.2024 को प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी। इस कारण उक्त अपील प्रस्तुत करने मे जो विलम्ब हुआ है, उसे उपरोक्त कारणवश न्यायहित में कन्डोन किया जाकर उक्त अपील को अन्दरमियाद माने जाने की प्रार्थना न्यायालय से की जाती है। यदि अपील को अन्दर मियाद नहीं माना गया और उक्त देरी को कन्डोन नहीं किया गया तो मिन अपीलार्थीया के विधिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार भी गुणावगुण के आधार पर नामान्तरण तस्दीक होने की दिनांक 30.09.2021 से जानकारी की दिनांक 19.12.2023 तक के डिले को कन्डोन किया जाकर उक्त अपील को अन्दर मियाद मानते हुए मेरिट पर उक्त अपील का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तकरण तस्दीक होने की दिनांक से जानकारी की दिनांक व अपील प्रस्तुत करने तक की समयावधि की देरी को कण्डोन किये जाने व गुणावगुण पर प्रकरण का फैसला करने का निवेदन किया गया।

अपील के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति, वसीयतनामा की छायाप्रति, न्याया0 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के प्रकरण संख्या 14/2019 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 4, 6 की ओर से श्री तरसेम कुमार मिश्रा उपस्थित हुए। अन्य रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 4, 6 ने जरिये अधिवक्ता अनापत्ति आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अंकित किया गया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 73 स्व. श्री बालूराम की स्वअर्जित सम्पति होना स्वीकार है। स्व. श्री बालूराम ने अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि के बाबत दिनांक 24.04.2019 को अपीलार्थीया नाना देवी के हक मे वसीयत निष्पादित करना भी स्वीकार है। जिस वसीयत की रेस्पोडेन्ट्स को शुरू से ही जानकारी रही है। जिसे रेस्पोडेन्ट्स स्वीकार करते है। आलौच्य नामान्तकरण अन्य भूमियों के साथ इस भूमि खसरा नम्बर 73 का भी सहवन से खुला होगा। उक्त भूमि खसरा नम्बर 73, जिसके संबंध में बालूराम ने नाना देवी के हक मे वसीयत निष्पादित कर दी थी, उसके हिस्से तक उक्त नामान्तकरण अवैध व विधिविरूद्ध है, जिसे रेस्पोडेन्ट्स भूमि खसरा नम्बर 73 की हद तक अवैध, शून्य व विधिविरूद्ध होना स्वीकार करते है। इसलिये आलौच्य नामान्तकरण को उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 की हद तक निरस्त किया जाना

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

न्याय के सिद्धान्तों का हनन करते हुये एवं विशेषकर उनके यहाँ नामान्तकरण के सबंध में पूर्व से ही प्रकरण सख्या 14/2019 उनवानी नाना देवी बनाम कैलाश वगैरह विचाराधीन रहते हुये प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 ने बाला बाला रुप से अन्य भूमियों सहित उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 73 के बाबत भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार से उसे गुगालते में लेकर तथ्यों को छिपाते हुये प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1791 दिनांकित 30.09.2021 प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 8 ने नाम तस्दीक कर लिया, जिसकी जानकारी अपीलार्थीया को दिनांक 19.12.2023 को उसके पति द्वारा नामान्तकरण बाबत धारा 135 (2) एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण मे प्रस्तुत करने हेतु जमाबंदी की नकल निकलावाने पर अपीलार्थीया की ओर से उक्त नामान्करण की नकल दिनांक 21.12.2023 को लेने के पश्चात अपीलार्थीया को उक्त नामान्करण की जानकारी हुई।

अपील आधार में अंकित किया गया है कि उक्त नामान्तरण आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने व उक्त मृत व्यक्ति स्व. श्री बालूराम की वसीयत के बाबत पूर्व से ही धारा 135 एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 14/2019 के विचाराधीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रचलित विधि व न्यायशास्त्र के सिद्वान्तो का पर्याप्त परिसीलन नहीं किया गया। आलौच्य नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व अपीलार्थीया को नोटीस जारी नहीं किया गया तथा ना ही कब्जे के बारे मे जानकारी ली गई। अपीलार्थी के पिता स्व. श्री बालूराम ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 के बाबत अपने जीवनकाल में ही अपीलार्थीया के पक्ष मे दिनांक 24.04.2019 को वसीयत निष्पादित कर दी थी। इसलिये कानूनन अपीलार्थीया के पिता स्व. श्री बालूराम की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि खसरा नम्बर 73 की एक मात्र मालिक, स्वामी खातेदार काश्तकार केवल मात्र अपीलार्थीया ही है। उक्त वसीयत को आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है तथा उक्त वसीयत को धारा 135 (2) एल. आर. एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण संख्या 14/2019 में प्रत्यर्थी संख्या 3 कैलाश चन्द द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था और वसीयत के आधार पर अपीलार्थीया के नाम नामान्करण खोले जाने हेतु सहमति भी दे दी गई थी। नामान्तरण दिनाक 30.09.2021 को मृतक बालूराम की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष की अत्यधिक देरी से खोला गया है। इस कारण इसमे अत्यधिक देरी होने की स्थिति मे नामान्तकरण खुलने के सबंध मे सभी वारीसान से सहमति लेना व उनसे पुछताछ करना कानूनन आवश्यक था तथा अपीलार्थीया को सुना जाना आवश्यक था। धारा 135 (1) एल.आर. एक्ट की उपधारा 2 के तहत नामान्तकरण विवादग्रस्त है तो तहसीलदार को ऐसे विवाद का विनिश्चय विधि के अनुसार तैयार करना होता है। अर्थात नामान्करण प्रक्रिया का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 2 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसके आधार पर नामान्तकरण खुलना होता है। प्रकरण संख्या 14/2019 विचाराधीन होने से तहसीलदार महोदय द्वारा अलौच्य नामान्करण कानूनन नही खुला जा सकता था।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1791 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को वसीयत दिनांक 24.04.2019 के आधार स्व. श्री बालूराम की उक्त भूमि के नामान्करण बाबत पूर्व से धारा 135 (1) एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज होकर विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2019 उनवानी नाना देवी बनाम कैलाश वगैरह को निर्णित कर नामान्तकरण खोले जाने हेतु आदेशित किया जावें।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

आवश्यक व न्यायोचित है। अन्त में आलौच्य नामान्तकरण को भूमि खसरा नम्बर 73 की हद तक निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

तत्पश्चात अपील में अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 73 पूर्व में ग्राम लूनियावास में स्थित थी जो अब नवनिर्मित ग्राम तेजानगर में आ गई है। उक्त भूमि स्व. बालूराम द्वारा दिनांक 20.07.1982 जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र खरीद की गई। स्व. बालूराम ने उक्त भूमि अपने जीवनकाल में अपीलार्थीया को दिनांक 24.04.2019 को वसीयत कर दी। दिनांक 29.06.2019 को बालूराम की मृत्यु हो गयी। दिनांक 22.11.2019 को तहसीलदार के यहां नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन किया जिसमें वसीयत के आधार पर अपीलार्थीया के हक में नामान्करण खोलने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपनी सहमति दे दी थी। धारा 135(2) एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 14/2019 दर्ज होने के बावजूद नामान्तकरण खोला गया। मृतक बालूराम की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष की अत्यधिक देरी से नामान्तकरण खोला गया। दिनांक 19.12.2023 को अपीलार्थीया को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुई। अपीलार्थीया के नाम वसीयत होने के बावजूद तहसीलदार ने बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1791 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान फरमावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को वसीयत दिनांक 24.04.2019 के आधार स्व. श्री बालूराम की उक्त भूमि के नामान्तकरण बाबत पूर्व से धारा 135 (1) एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज होकर विचाराधीन प्रकरण संख्या 14/2019 उनवानी नाना देवी बनाम कैलाश वगैरह को निर्णित कर नामान्तकरण खोले जाने हेतु आदेशित किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1, 4, 6 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 73 स्व. श्री बालूराम की स्वअर्जित सम्पति होना स्वीकार है। स्व. बालूराम ने अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि के बाबत दिनांक 24.04.2019 को अपीलार्थीया नाना देवी के हक मे वसीयत निष्पादित की। जिस वसीयत की रेस्पोडेन्ट्स को शुरू से ही जानकारी रही है। जिसे रेस्पोडेन्ट्स स्वीकार करते है। आलौच्य नामान्तकरण अन्य भूमियों के साथ इस भूमि खसरा नम्बर 73 का भी सहवन से खुला होगा। उक्त भूमि खसरा नम्बर 73, जिसके संबंध में बालूराम ने नाना देवी के हक मे वसीयत निष्पादित कर दी थी, उसके हिस्से तक उक्त नामान्तकरण अवैध व विधिविरूद्ध है, जिसे रेस्पोडेन्ट्स भूमि खसरा नम्बर 73 की हद तक अवैध, शून्य व विधिविरूद्ध होना स्वीकार करते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन भूमि खसरा नं 73 के संबंध में अपीलार्थीया द्वारा पूर्व मे ही तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के यहाँ दिनांक 22.11.2019 को धारा 135 (2) एल.आर. एक्ट के तहत आवेदन किया जाकर उसमे विधिनुसार कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के यहां प्रकरण विचाराधीन होने के उपरान्त भी अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया जाना न्यायोचित नही है। स्व. बालूराम द्वारा अपीलार्थीया के पक्ष में वसीयत निष्पादित किये जाने के तथ्य से रेस्पाडेन्ट संख्या 3/1, 4, 6 भी अपने जवाब में सहमति प्रदान कर रहे हैं। मृतक बालूराम की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष की देरी से नामान्तकरण खोला जाना भी नियमों के विपरीत है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

नाना देवी बनाम सरकार वगै0

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 73 रकबा 6.5501 हैक्टेयर वाके ग्राम लूनियावास हाल ग्राम तेजा नगर, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर के संबंध में तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 1791 दिनांक 30.09.2021 को खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के संबंध मे पक्षकारों के सुनवाई उपरान्त गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावे। तदानुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर